हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 86

बुधवार, 26 अगस्त, 2015/4 भाद्रपद, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 1828, 1963 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 2300 से 2306 तक व 2308, 2309 के उत्तरों पर प्रश्न पूछे गए व सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 2307 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 2310 से 2349 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 889, 894 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1005 से 2019 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>12-00 PM</u>

2. कागजात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मन्त्री,** ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनीयम, 1994 की धारा 186(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (ज़िला परिषद् में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः पीसीएच-एचए(1)11/2010-1-9620-9750 दिनांक 11-08-2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10-08-2015 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2015-16)**, ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का **110वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 65वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **111वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 78वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **112वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 79वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिंफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **42वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 4.9 से 4.10 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम समिति** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **43वां मुल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 3,11 व 3,12 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम समिति** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री कुलदीप कुमार, सदस्य, कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16)**, ने समिति के **48वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना षष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **18वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 11वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिंफारिशों पर आधारित तथा **गृह विभाग** से सम्बन्धित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री ने तारांकित प्रश्न संख्या 2326 के शुद्धिकरण बारे वक्तव्य दिया।

12-08-00PM

4. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

श्री कौल सिंह,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 15) पुरःस्थापित हुआ।

12-12-00 PM

मुख्यमन्त्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मन्त्री ने सदन में वन मण्डल चम्बा, आलमी बीट में अवैध रूप से कटान किए गए दरख्तों के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया।

(माननीय मुख्य मन्त्री के वक्तव्य से सन्तुष्ट न होकर विपक्ष के सदस्यों ने (सर्वश्री महेन्द्र सिंह व रिखी राम कौंडल को छोड़कर) अपराह्न 12.30 बजे सदन से वॉक आउट किया)

12-32-00 PM

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तावः

सर्वश्री महेन्द्र सिंह व रिखी राम कौंडल ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की :-

> "प्रदेश में जंगली जानवरों व आवारा पशुओं द्वारा जान-माल एवं फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

(अपराह्न 12.45 बजे विपक्ष के माननीय सदस्य पुनः सदन में उपस्थित हुए)

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1) श्रीमती आशा कुमारी
2) डॉ0 राजीव बिन्दल
3) श्री जगत सिंह नेगी, माननीय उपाध्यक्ष
4) श्री सुरेश भारद्वाज
5) प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
6) श्री महेश्वर सिंह
7) श्री कुलदीप कुमार
8) श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
9) श्री राकेश कालिया
10) श्री इन्द्र सिंह
11) श्री राम कुमार
12) श्री गोविन्द राम शर्मा
13) श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, मुख्य संसदीय सचिव
14) श्री नरेन्द्र ठाकुर
15) श्री किशोरी लाल
16) श्री विनोद कुमार
17) श्री रवि ठाकुर
18) श्री सुरेश कुमार
19) श्री बिक्रम सिंह जरयाल

(अपराह्न 5.00 बजे सदन की बैठक अपराह्न 5.30 बजे तक बढ़ाई गई)

20.) श्री जगजीवन पॉल, मुख्य संसदीय सचिव

माननीय वन मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अपराह्न 5.30 बजे सदन की बैठक अपराह्न 6.00 बजे तक बढ़ाई गई)

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा के उत्तर को पूर्ण किया।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने स्पष्टीकरण पूछा।

माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

माननीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सोमवार, दिनांक 31 अगस्त, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे होने वाली सदन की बैठक के समय को पूर्वाह्न 11.00 बजे किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

(सदन की बैठक अपराह्न 05.55 बजे वीरवार, दिनांक 27 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)